

न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं० 1, सुलतानपुर।
उपस्थित: संध्या चौधरी, एच०जे०एस०
(J.O. Code- UP 6161)

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या-376 / 2022 एन०आर०
(C.N.R. No. UPST010092162022)

1-गया प्रसाद दूबे पुत्र स्व० रामअधार दूबे

2-राजमणि दूबे पुत्र स्व० रामअधार दूबे

निवासीगण ग्राम घासीपुर, पोस्ट लोहरामऊ, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जिला सुलतानपुर
-----प्रार्थीगण

बनाम

1-परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वाराणसी कार्यान्वयन इकाई
डी०आई०वी० कालोनी मकबूल रोड़ वाराणसी उ०प्र० द्वारा परियाजना निदेशक

2-आर्बीट्रेटर/जिलाधिकारी जनपद सुलतानपुर

-----विपक्षीगण

निर्णय

10.04.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 3क अन्तर्गत धारा 34 मध्यस्थम् पंचाट अधिनियम 1956, जिलाधिकारी सुलतानपुर/मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29-07-2021, वाद संख्या डी201704680006672, गनेश तिवारी व अन्य बनाम सक्षम प्राधिकारी व अन्य अन्तर्गत धारा 6छ(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 दिया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थना पत्र 3क के तथ्य इस प्रकार है कि मध्यस्थ ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये यान्त्रिक रूप से माध्यस्थम् पंचाट दिनांकित 29.07.2021 पारित किया। मध्यस्थ ने वादग्रस्त माध्यस्थम् पंचाट दिनांकित 29.07.2021 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अधिग्रहण के प्रभावी विधियों की उपेक्षा करके माध्यस्थम् पंचाट पारित किया है। मध्यस्थ ने न्याय निर्णयन की प्रक्रिया में विधायिक की मंशा को प्राप्त करने का प्रयत्न कर उसे न्याय निर्णयन का आधार बनाने कोई प्रयत्न नहीं किया है। मध्यस्थ को अपने निष्कर्ष सम्प्रेक्षण में अधिग्रहीत जमीन की बाजारू कीमत पर विचार करना चाहिए था। क्षतिपूर्ति का प्रावधान वाले अधिनियम उपचारात्मक विधि की श्रेणी में आते हैं। जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा स्आम्प नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार अलहदादपुर ग्राम नगर पालिका परिषद सुलतानपुर की सीमा के अन्तर्गत आता है और प्रार्थी की गाटा सं० 230 ग्राम अलहदादपुर में स्थित है। इसी गाटा सं० क्षेत्रफल अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ-वाराणसी के लिए किया गया। धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने में विलम्ब मात्र सद्भावना में रिट प्रस्तुत करने के कारण हुआ, जो विलम्ब की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी दिनेश तिवारी का माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ लैण्ड एक्व्यूजीशन नं० 28325/2021 जो दिनांक 04.12.2021 को उचित फोरम में प्रस्तुत करने की लीवर्टी के साथ खारिज हुआ था। मध्यस्थ महोदय द्वारा व अन्य विपक्षीगण द्वारा अभी तक मध्यस्थ पंचाट दिनांक 29.07.2021 को प्रार्थीगण को पंजीकृत डाक द्वारा व अन्य किसी द्वारा प्रदान नहीं करवाया गया है। प्रार्थिनी ने माध्यस्थ पंचाट दिनांक 29.07.2021 की सत्यापित नकल दिनांक 01.01.2022 को प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र के साथ विधि द्वारा निर्धारित न्यायशुक्ल मु० 200/-रूपये अदा किया जा रहा है। अतः वादग्रस्त

माध्यस्थम् पंचाट दिनांकित 29.07.2021 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. यह आपत्ति धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंचाट दिनांक 29.07.2021 के विरुद्ध दिनांक 06.01.2022 को प्रस्तुत किया गया है।

5. धारा 34 माध्यस्थम् पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन:-

1-माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध, न्यायालय का आश्रय केवल उपधारा (2) या उपधारा (3) के अनुसार, ऐसे पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन करके ही किया जा सकेगा।

2-कोई माध्यस्थम् पंचाट न्यायालय द्वारा तभी अपास्त किया जा सकेगा, यदि:

(क) आवेदन करने वाला पक्षकार (माध्यस्थ अधिकरण के अभिलेख के आधार पर यह स्थापित करता है, कि):-

(i) कोई पक्षकार किसी असमर्थता से ग्रस्त था, या

(ii) माध्यस्थम् करार उस विधि के, जिसके अधीन पक्षकारों ने उसे किया है या इस बारे में कोई संकेत न होने पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिमान्य नहीं है, या

(पपप) आवेदन करने वाले पक्षकार को, माध्यस्थ की नियुक्ति की या माध्यस्थम् कार्यवाहियों की उचित सूचना नहीं दी गयी थी, या वह अपना मामला प्रस्तुत करने में अन्यथा असमर्थ था, या

(iv) माध्यस्थम् पंचाट ऐसे विवाद से सम्बन्धित है जो अनुध्यात नहीं किया गया है या माध्यस्थम् के लिए निवेदन करने के लिए रखे गए निबन्धनों के भीतर नहीं आता है या उसमें ऐसी बातों के बारे में विनिश्चय है जो माध्यस्थम् के लिए निवेदित विषय क्षेत्र से बाहर है,

परन्तु यदि, माध्यस्थम् के लिए निवेदित किए गए विषयों पर विनिश्चयों को उन विषयों के बारे में किए गए विनिश्चयों से पृथक किया जा सकता है, जिन्हें निवेदित नहीं किया गया है, तो माध्यस्थम् पंचाट के केवल उस भाग को, जिसमें माध्यस्थम् के लिए निवेदित न किए गये विषयों पर विनिश्चय है, अपास्त किया जा सकेगा, या

(v) माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना या माध्यस्थम् प्रक्रिया, पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा करार इस भाग के उपबन्धों के विरोध में न हो और जिससे पक्षकार नहीं हट सकते थे, या ऐसे करार के अभाव में, इस भाग के अनुसार नहीं थी, या

(ख) न्यायालय का यह निष्कर्ष है, कि :-

(i) विवाद की विषय-वस्तु, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन माध्यस्थम् द्वारा निपटाए जाने योग्य नहीं है, या

(ii) माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोकनीति के विरुद्ध है।

स्पष्टीकरण: 1- किसी शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध केवल तभी होगा, यदि:

(i) पंचाट का किया जाना या कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित है या प्रभावित किया गया है अथवा वह धारा 75 या धारा 81 के अतिक्रमण में है, या

(ii) वह भारतीय विधि की मूलभूत नीति के उल्लंघन में है, या

(iii) वह नैतिकता या न्याय की अत्यन्त आधारभूत धारणा के विरोध में है।

स्पष्टीकरण: 2- शंका को दूर करने के लिए इस बात की जांच कि भारतीय विधि की मूलभूत नीति का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, विवाद के गुणागुण के पुनर्विलोकन को आवश्यक नहीं बनाएगी।

(2-क) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थियों से भिन्न माध्यस्थियों से अद्भूत किसी माध्यस्थम् पंचाट को भी न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकेगा यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि पंचाट

को देखने से ही यह प्रतीत होता है कि वह प्रकट अवैधता से दूषित है: परन्तु किसी पंचाट को केवल विधि के गलत उपयोजन के आधार पर या साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके अपास्त नहीं किया जाएगा।

(3) अपास्त करने के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको आवेदन करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम् पंचाट प्राप्त किया था या यदि अनुरोध धारा 33 के अधीन किया गया है तो उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था, तीन मास के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निर्धारित किया गया था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि में आवेदन ग्रहण कर सकेगा किन्तु इसके पश्चात् नहीं।

(4) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, जहाँ यह समुचित हो और इसके लिए किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किया जाए, वहाँ न्यायालय, माध्यस्थम् अधिकरण को इस बात का अवसर देने के लिए कि वह माध्यस्थम् कार्यवाहियों को चालू रख सके या ऐसी कोई अन्य कार्यवाही कर सके, जिससे माध्यस्थम् अधिकरण की राय में माध्यस्थम् पंचाट के अपास्त करने के लिए आधार समाप्त हो जाएं, कार्यवाहियों को उतनी अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा जो उसके द्वारा अवधारित की जाएं।

(5) इस धारा के अधीन कोई आवेदन किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को पूर्व सूचना जारी करने के पश्चात् ही फाइल किया जाएगा और ऐसे आवेदन के साथ आवेदन द्वारा उक्त अपेक्षा के अनुपालन का पृष्ठांकन करते हुए एक शपथ पत्र संलग्नप किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन आवेदन का निपटारा यथाशीघ्र और किसी भी दशा में उस तारीख से, जिसको उपधारा (5) में निर्दिष्ट सूचना दूसरे पक्षकार पर तामील की जाती है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

6. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) यह प्राविधानित करता है कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत धारा 34 की आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम समय अवधि तीन महीने की होगी, इस तीन महीने के व्यतीत होने के उपरान्त अति विशेष परिस्थितियों में न्यायालय अपने स्वविवेक से 30 दिन का और समय धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की आपत्ति हेतु प्रदान कर सकती है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था पश्चिम **बंगाल राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बनाम राजपथ कोन्ट्रेक्टर्स एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड (2024) 7 एस0सी0सी0 257 सुप्रीम कोर्ट** में यह विनिश्चयन किया है कि धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों के लिए अधिनियम में प्राविधानित समय अवधि के अन्तर्गत अन्य कोई भी समय प्रदान करने का कोई भी अधिकारित/स्वविवेकित न्यायालय के पास उपलब्ध नहीं है। धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 निर्णय हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्राभावहीन है।

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **अर्बन इन्फ्राटेक्चर रियल इस्टेट फण्ड बनाम नीलकान्त खीलती प्रा0लि0 एवं अन्य एस0एल0पी0 नं0 266/2025 निर्णय दिनांक 15.09.2025** में यह विनिश्चयन किया गया है कि धारा 34 मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समय अवधि के प्रश्न को न्यायालय सर्वप्रथम प्रारम्भिक प्रश्न के रूप में निर्णीत करेगी।

9. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **कन्सोलिडेटेड कंसट्रैक्शन कन्सोरिटम लिमिटेड बनाम सॉफ्टवेयर टेकनॉलोजी पारकस ऑफ इण्डिया ए0आई0आर0 2025 सुप्रीम कोर्ट 2411** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विनिश्चयन

किया गया है कि धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की आपत्ति निवारण की संक्षिप्त प्रक्रिया है इसमें न तो पूरी तरह से सी0पी0सी0 लागू है और न ही सी0आर0पी0सी0 लागू होती है।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था कृष्णा देवी बनाम सावित्री (रानी) मेसर्स एस0आर0 इंजीनियरिंग कंसट्रक्शन बनाम भारत संघ ए0आई0आर0 2025 एस0सी0 488 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विनिश्चयन किया है कि जैसे ही पक्षकारों को माध्यस्थम्/सुलह के अस्तित्व में आ जाने का ज्ञान प्राप्त होता है परिसीमा की अवधि उसी दिन से अंगणित होना प्रारम्भ हो जायेगी।

11. उपर्युक्त समस्त विवेचना के उपरान्त आपत्ति अन्तर्गत धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 समयावधि से बाधित मानी जाती है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र 3क निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3क निरस्त किया जाता है।

sd/-

(संध्या चौधरी)

अपर जिला जज,

कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर।

दिनांक: 10.04.2026

आज यह निर्णयादेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(संध्या चौधरी)

अपर जिला जज,

कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर।

दिनांक: 10.04.2026